पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 850 /अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 04/10/2023

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 के अनुमोदनानुसार **श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसनल स्टडिज, पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर जिला–रायपुर(छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिये अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	B.B.A. (Seat extension)	30	2023–24
2	B.Com.(Seat extension)	30	

01 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर का पत्र कमांक एफ 17–6/2023/38–2 नया रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 21.06.2023 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है । शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।

03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।

04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।

05 समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

06. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

07. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें ।

08. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।

09. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करें ।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 851 /अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक 04/10/2023

प्रतिलिपि :–

01 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
02 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
03 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
04 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
05 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
06 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
07 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
08 संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी संघ मर्यादित आदर्श नगर, कांके रोड, रांची–झारखंड पिन नं. 834008–(पं.र.शु.वि.वि.परिसर, रायपुर)
09 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशेंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 24/अका./2023, रायपुर दिनांक 16.07.2023

निरीक्षण की तिथी : 04.08.2023

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B.B.A.	–	30 सीट वृद्धि	2023-24	प्रक्रियाधीन
B. Com	–	30 सीट वृद्धि	2023-24	प्रक्रियाधीन

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	पंजीयन वैध
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	5.293 एकड़
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	₹ 15,00000/=
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	आजीवन सदस्यता
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	हाँ
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता	3(xiv)	24 अध्यापन कक्ष
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता	3(xvi)	निरंक
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	लागू नहीं
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	वर्तमान में B.B.A. एवं B.Com में 6-6 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। B.B.A में परिनियम 28 के अन्तर्गत केवल 1 शिक्षक कार्यरत है। B.B.A एवं B.Com में परिनियम 28 के अन्तर्गत 3 शिक्षक प्रति पाठ्यक्रम किये जाने की आवश्यकता है।

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता	7(i), 7(vi)	वर्तमान में छात्रों के अनुसार पुस्तकें पर्याप्त हैं। लेकिन सीट वृद्धि के अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	कम्प्यूटर लैब, कैंटीन हास्टल एवं अन्य आधारसंरचना पर्याप्त है।
12.	यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?	लागू नहीं	
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे	निरंक	
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।	उपरोक्तानुसार	

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर प्रो आशीष कुमार श्रीवास्तव
[signature] 04/8/23

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर
1. डॉ. ओ. पी. चंद्राकर [signature]
2. डॉ राजेश्वर दीवान [signature]
3.
4.
...
...
...

दिनांक 04.08.2023

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

[signature] [signature]